

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 119वीं बैठक दिनांक 20.08.2007 में किये गये निर्णय/सुझाव का विवरण ।

क्र.सं.	एस. नं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना स्थिति
1	119.1	कार्यकारी समिति की 118 वीं बैठक दिनांक 18.07.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से एजेण्डा संख्या 118:27 व 118:28 के निर्णयों को छोड़ते हुये शेष एजेण्डों की पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।		
2	119.2	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित भारत भवन गृ. नि. स.स. की योजना मोहन नगर के भूखण्ड संख्या एस-12 क्षेत्रफल 733.33 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (मनोज पारवानी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर नीति निर्धारण विचाराधीन है। अतः प्रकरण स्थगित किया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-5	
3	119.3	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित भारत भवन गृ. नि. स. की योजना मोहन नगर के भूखण्ड संख्या एस-11 क्षेत्रफल 800 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (राजेश पारवानी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर नीति निर्धारण विचाराधीन है। अतः प्रकरण स्थगित किया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-5	
4	119.4	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित गुलाब बाड़ी गृ. नि. स.स. की योजना डाक्टर्स कोलोनी के भूखण्ड संख्या 171 क्षेत्रफल 679.62 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (नागरमल अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर नीति निर्धारण विचाराधीन है। अतः प्रकरण स्थगित किया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	
5	119.5	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 1126, 1127/1, 1128/1 कुल किता 3 रकबा 0.66 है 0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (राजस्थान राधास्वामी सत्संग एसोसिएशन)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 1126, 1127/1, 1128/1 कुल किता 3 रकबा 0.66 है 0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
6	119.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के ख.नं. 383, 384, 385, 387, 401, 346, 347, 352, 392 किता 9 रकबा 4.02 है 0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से अवासीय व खसरा नं. 423, 424 किता 2 रकबा 0.47 है 0 भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्रीपाल चुडीवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के ख.नं. 383, 384, 385, 387, 401, 346, 347, 352, 392 किता 9 रकबा 4.02 है 0 अर्थात् 40200 वर्गमीटर में से 100 फिट सड़क क्षेत्र में आने वाली एवं एच.टी. लाईन से प्रभावित 4387.75 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 35597.39 वर्गमीटर का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से अवासीय व खसरा नं. 423, 424 किता 2 रकबा 0.47 है 0 में से मौके पर 21.14 वर्गमीटर भूमि कम है, अतः शेष बची 4678.86 वर्गमीटर में से राजमार्ग में निहित होने वाली 848.33 वर्गमीटर व प्लान्टेशन कोरीडोर में निहित होने वाली 1202.57 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 2627.96 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
7	119.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित पथिक भवन गृ. नि. स.स. की योजना भृगु नगर (स्कीम नं. 9) के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 7 व 27 क्षेत्रफल 664.61 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (कोमल बक्शी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं निर्णय लिया गया कि आवेदित भूखण्डों के अनाधिकृत निर्माण को हटाने को सुनिश्चित कर जविप्रा अधिनियम की धारा 25(1) की कार्यवाही की जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	
8	119.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 191, 192, 201, 202 कुल किता 4 रकबा 0.64 है 0 अर्थात् 7654.33 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग गोलक फोर्स एवं आपेन स्पेस से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (वी-टैक अपार्टमेंट प्रा. लि.)	विचार विमर्श पश्चात् राजस्व ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 191, 192, 201, 202 कुल किता 4 रकबा 0.64 है 0 अर्थात् 7654.33 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग गोलक फोर्स एवं आपेन स्पेस से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय एयरपोर्ट अधोस्ट्रक्चर की एनओसी की शर्त पर लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-9	


Handwritten signature or mark.

क्र.स.	एस.	विषय	ढठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	अधिकारी	रिपोर्ट
9	119.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सिस्थावास तहसील सांगानेर के ख.नं. 110, 116, 120, 122, 100, 112, 113 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 3.65 है 0 भूमि का भू-उपयोग आवासीय/मिश्रित से संस्थानिक किये जा (बगडिया एजुकेशन ट्रस्ट)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम सिस्थावास तहसील सांगानेर के ख. नं. 110, 116, 120, 122, 100, 112, 113 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 3.65 है 0 भूमि में से सड़क सीमा में आने वाली 2165.52 वर्ग मी. भूमि को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 3433.48 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग आवासीय/मिश्रित से संस्थानिक प्रयोजनार्थ किये जाने व अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-9	
10	119.10	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित नेशनल हाउसिंग कोर्पोरेटिव सोसायटी की योजना सुन्दर नगर के भूखण्ड संख्या 39 क्षेत्रफल 413.37 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (कमलेश हल्दिया)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर नीति निर्धारण विचाराधीन है। अतः प्रकरण स्थगित किया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-1	
11	119.11	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित अपोलो गृ.नि.स.स की योजना लाल बहादुर नगर के भूखण्ड संख्या पी 18 क्षेत्रफल 480 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (फोल्थाका एस्टेट प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर नीति निर्धारण विचाराधीन है। अतः प्रकरण स्थगित किया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-4	
12	119.12	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम गोरधनपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 15 से 22, 24/319 कुल कित्ता 9 रकबा 8.33 है 0 भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (रामचन्द्र अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम गोरधनपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 15 से 22, 24/319 कुल कित्ता 9 रकबा 8.33 है 0 भूमि में से सड़क सीमा में आने वाली 4549 वर्ग मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 78751 वर्ग मी. का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग मी. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
13	119.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित मोती भवन गृ.नि.स.स की योजना हनुमान नगर डी-के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या ए-14 व ए-36 क्षेत्रफल 777.77 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (कु लखबीर कौर)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर नीति निर्धारण विचाराधीन है। अतः प्रकरण स्थगित किया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	
14	119.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित गोविन्द गृ.नि.स.स की योजना गोविन्द नगर पूर्व के भूखण्ड 15 क्षेत्रफल 264.44 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (रतन माहेश्वरी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर नीति निर्धारण विचाराधीन है। अतः प्रकरण स्थगित किया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-2	
15	119.15	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम हरनाथपुरा जयपुर के ख.नं. 102/2 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग रिक्रियेशनल से आवासीय (गुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मै. गोल्डन लीव्ज बिन्दर्स एण्ड डवलपर्स)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम हरनाथपुरा जयपुर के ख.नं. 102/2 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से सेक्टर रोड में निहित होने वाली 360.88 वर्ग गज एवं एच.टी. लाईन में आने वाली 229.16 वर्ग गज भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 7577.46 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग रिक्रियेशनल से आवासीय (गुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग मी. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	
16	119.16	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 787 से 790 व 792 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.58 है 0 अर्थात् 18896.80 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 में दर्शित ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (कजोड प्रभात व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम रामपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 787 से 790 व 792 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.58 है 0 अर्थात् 18896.80 वर्ग गज भूमि में से सड़क सीमा में आने वाली 77.77 वर्ग गज भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 18819.03 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 में दर्शित ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग मी. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	

क्र.सं.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
17	119.17	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजनाओं के मुख्य 100 फीट व उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित छोटे भूखण्डों के भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में नीरक्षित निर्णय लिये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर नीति निर्धारण विचाराधीन है। अतः प्रक. स्थगित किया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-6	
18	119.18	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित मोती भवन गृ.नि.स. की योजना हनुमान नगर डी-के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या ए-22 व ए-23 क्षेत्रफल 1086.28 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (दलसिंह व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर नीति निर्धारण विचाराधीन है। अतः प्रकरण स्थगित किया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	
19	119.19	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में उत्तर में सैक्टर 37 मौजूदा गोनेर रोड रिको द्वारा प्रस्तावित अवाप्ति के क्षेत्र को छोड़ते हुए एवं नाला तक दक्षिण में सैक्टर 50 की 200 फीट चौड़ी सड़क तक एवं पूर्व गोनेर का नाला एवं रिंग रोड, पश्चिम में टोक रोड तक स्थित ग्राम गोनेर, सालिगरामपुरा, रामपुरा उर्फ कवरपुरा, खेडाजगन्नाथपुरा, मथुरावाला, जयचन्दपुरा, विधानी, विमलपुरा, बीलवाबुजुर्ग व खुसर तहसील सांगानेर का रकबा 1030.11 है 0 भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय व अन्य नगरीय उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु क्षेत्र का जोनल प्लान तैयार कराया जावे। तत्पश्चात् प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।	विचार विमर्श पश्चात् जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में उत्तर में सैक्टर 37 मौजूदा गोनेर रोड रिको द्वारा प्रस्तावित अवाप्ति के क्षेत्र को छोड़ते हुए एवं नाला तक दक्षिण में सैक्टर 50 की 200 फीट चौड़ी सड़क तक एवं पूर्व गोनेर का नाला एवं रिंग रोड, पश्चिम में टोक रोड तक स्थित ग्राम गोनेर, सालिगरामपुरा, रामपुरा उर्फ कवरपुरा, खेडाजगन्नाथपुरा, मथुरावाला, जयचन्दपुरा, विधानी, विमलपुरा, बीलवाबुजुर्ग व खुसर तहसील सांगानेर का रकबा 1030.11 है 0 भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय व अन्य नगरीय उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (जविप्रा)	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
20	119.20	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम सूरजपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 332 से 334, 530 से 545, 546/1, 546/3, 547 से 549, 550/1, 550/2, 551, 552/1, 552/2, 553 से 556, 557/1, 557/2, 558, 559/1, 559/2, 560, 561, 562/1, 562/2, 563 से 567, 568/1, 568/2, 569 से 573, 575, 576, 580, 580/1, 581 से 583, 585 से 593, 593/1, 594, 596 से 610, 610/700, 611, 612, 614 से 618, 620 से 625 ख.नं. 15 मिन ख.नं. 21 मिन ख.नं. 22 मिन ख.नं. 574 में से 0.58 है 0 कित्ता 110 रकबा 35.87 है 0 एव ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के ख. नं. 4390/2, 4392, 4401 से 4404, कित्ता 6 रकबा 2.51 है 0 कुल कित्ता 116 कुल रकबा 38.38 है 0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय एवं मिश्रित प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मै 0 सैग्विन स्क्वियर रियलस्टेट प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम सूरजपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 332 से 334, 530 से 545, 546/1, 546/3, 547 से 549, 550/1, 550/2, 551, 552/1, 552/2, 553 से 556, 557/1, 557/2, 558, 559/1, 559/2, 560, 561, 562/1, 562/2, 563 से 567, 568/1, 568/2, 569 से 573, 575, 576, 580, 580/1, 581 से 583, 585 से 593, 593/1, 594, 596 से 610, 610/700, 611, 612, 614 से 618, 620 से 625 ख. नं. 15 मिन ख.नं. 21 मिन ख.नं. 22 मिन ख.नं. 574 में से 0.58 है 0 कित्ता 110 रकबा 35.87 है 0 एवं ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के ख.नं. 4390/2, 4392, 4401 से 4404, कित्ता 6 रकबा 2.51 है 0 कुल कित्ता 116 कुल रकबा 38.38 है 0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय एवं मिश्रित प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व. ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
21	119.21	रमल्यावाला डेयरी योजनाओं के अवार्डियों को रमल्यावाला विस्तार योजना में 15 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखण्डों की दर के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि अवार्डी खातेदार को आवंटन योग्य क्षेत्रफल व प्राधिकरण द्वारा दिये जा रहे भूखण्डों के क्षेत्रफल में अन्तर होने के कारण अगर नाप घटती है तो आरक्षित दर से राशि दी जावे या नाप बढ़ती है तो आरक्षित दर से राशि वसूल कर ली जावे। पशु डेयरियों के लिये आवंटित भूखण्डों पर आरक्षित दर 1650/- रुपये प्रति वर्गमीटर तय की जाकर लीज राशि वसूल की गई है। इसी प्रकार रमल्यावाला विस्तार योजना की भी आवासीय आरक्षित दर 1650/- रुपये प्रति वर्गमीटर रखे जाने का अनुमोदन किया गया।	उपायुक्त जोन-12	
22	119.22	भूखण्ड संख्या बी-210 सालिगरामपुरा योजना के नियमितीकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड संख्या बी-210 सालिगरामपुरा योजना के नियमितीकरण किया गया एवं प्रकरण सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन-11	
23	119.23	श्री गंगाराम गुप्त श्री गंगाराम बेल्दार की पत्नी श्रीमति फलादेवी की ईलाज वूमन एण्ड जनरल हॉस्पिटल, प्रताप नगर, सांगानेर में कराये गये ईलाज पर व्यय की पूर्णभरण की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	

क्र.स.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
24	119.24	श्री जगदीश नारायण यादव, निजी सहायक की माताजी श्रीमति मूलीदेवी की आँखों का ईलाज कैलगीरी हॉस्पिटल में कराये गये ईलाज पर व्यय की पूर्णभरण की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से अनुदान किया गया एवं कैलगीरी हास्पिटल को जविप्रा द्वारा मान्यता दिये जाने वाले हॉस्पिटलो की सूची में शामिल किये जाने की कार्यवाही की जावे।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
25	119.25	प्राधिकरण हेतु 2 नये एम्बेसेडर कय करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार दो वाहन कय करने की स्वीकृति दी गई। बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा कथन किया गया कि अनुबन्धित वाहन समय पर नहीं आते। इस पर कार्यकारी समिति ने प्रशासनिक प्रकोष्ठ एवं वित्त प्रकोष्ठ के अधिकारियों को समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
26	119.26	श्री रतनसिंह, कनिष्ठ लेखाकार की 4 वर्ष पश्चात् 1 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री रतनसिंह, कनिष्ठ लेखाकार की प्रतिनियुक्ति अवधि 4 वर्ष पश्चात् 1 वर्ष अर्थात् दिनांक 7.7.07 से 6.7.08 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 4 वर्ष की अवधि के पश्चात् का प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।	अति.आयुक्त (प्रशासन)	
27	119.27	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नीडड तहसील आमेर के ख.नं. 272, 311 से 317, 319 से 322 कुल किता 12 कुल रकबा 3.37 है 0 अर्थात् 33700 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (कैलाश प्रसाद)	प्रकरण में न्यायालय के स्थगन आदेश होने के कारण स्थगित किया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
28	119.28	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नीडड तहसील आमेर के ख.नं. 501, 504 से 513, 140 से 145, 146, 206 से 218, 197, 219, 472, 473, 184, 196, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 185, 193, 471, 474, 476, 477, 1415, 1416, 1418, 1419, 1402, 479, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 273, 1431, 1432, 1437 से 1441, 1536 से 1538, 147 से 149, 190, 204, 205 कुल किता 73 रकबा 32.47 है 0 अर्थात् 324700 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (जेमस्टार ज्वैलरी प्रा.लि.)	प्रकरण में न्यायालय के स्थगन आदेश होने के कारण स्थगित किया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
29	119.29	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नांगल सिरस तहसील आमेर के ख.नं. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 25, 27, 47, 48, 53, 62, 64/832, 65, 69, 72, 77, 78, 83, 84, 89, 92, 93, 94, 154, 155, 249, 253, 434, 435, 801 से 806 कुल किता 36 रकबा 59.03 है 0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (जविप्रा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम नांगल सिरस तहसील आमेर के ख. नं. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 25, 27, 47, 48, 53, 62, 64/832, 65, 69, 72, 77, 78, 83, 84, 89, 92, 93, 94, 154, 155, 249, 253, 434, 435, 801 से 806 कुल किता 36 रकबा 59.03 है 0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
30	119.30	Agenda Regarding Approval of counter offer and so also tender for work of Tender for the work of P/L/J of the lateral sewer line Siddarth nagar and Airport area with construction of pre-cast manholes Jaipur Pck-02	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गत बैठक के एजेण्डा न 118.27 के निर्णय में संशोधन करते हुये निम्न निर्णय लिया गया कि - 1. न्यूनतम निविदादाता एवं अन्य निविदादाताओं को क्रमानुसार काउन्टर ऑफर पार्ट ए 24.5 प्रतिशत अधिक (above) एवं पार्ट बी 15 प्रतिशत अधिक (above) कुल राशि 4,06,12,238.35 देने की स्वीकृति प्रदान की गई। 2. टेण्डर की स्वीकृति L-1, L-2 एवं अन्य निविदादाता जिन्होंने क्रमानुसार काउन्टर ऑफर स्वीकार किया हो, के पक्ष में पार्ट ए 24.5 प्रतिशत अधिक (above) एवं पार्ट बी 15 प्रतिशत अधिक (above) कुल राशि 4,06,12,238.35 देने की स्वीकृति प्रदान की गई।	Zonal Engineer (PHE-1)	

क्र.स.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
35	119.35	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बिलवा तहसील सांगानेर के ख.न. 20, 2248/20 कुल किता 2 रकबा 2248/20 अर्थात् 22400 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय उपान्तरण के संबंध में। (राजेन्द्र बरडिया)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम बिलवा तहसील सांगानेर के ख.न. 20, 2248/20 कुल किता 2 रकबा 2248/20 अर्थात् 22400 व.मी. में से आवेदक के कब्जे की 22240.64 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जे.न. 11	
36	119.36	जविप्रा में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों हेतु रीको पर्टन के स्थान पर राजस्थान आवासन मण्डल के सेवानियमों अनुरूप सेवा नियम लागू किये जाने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई एवं प्रकरण को आगामी प्राधिकरण (Authority) की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	अति आयुक्त (प्रशासन)	


 सचिव,
 जविप्रा, जयपुर